प्रेसनोट

पिथौरागढ़–06.11.13(सूवि),

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ओम कुमार ने अवगत कराया है कि 23 नवम्बर को जनपद के सभी न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

उन्होंने कहा है कि 23 नवम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालतों में दीवानी, फौजीदारी, राजस्व, मोटर दुर्घटना प्रतिकार, भरण–पोषण, पारिवारिक विवादों सहित लघु आपराधिक वादों एवं सुलह समझौते योग्य वादों का निस्तारण सुलह समझौते एवं स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने सर्वसाधारण से आग्रह किया है जो भी व्यक्ति अपने मामलों को लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हों वह किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र देकर अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामलों को 21 नवम्बर तक नियत करा सकता है।

पिथौरागढ़–06.11.13(सूवि),

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ओम कुमार ने अवगत कराया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान एवं जिला जज सी.पी.बिजलवान की अध्यक्षता में 17 नवम्बर को जौलजीवी में प्रातः 11 बजे मेला स्थल पर मुख्य सांस्कृतिक मंच में आपदा पीड़ितों हेतु विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शिविर में शिविर में उपस्थित लोगों को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी देने के साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा संबंधित विभागों द्वारा पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग आदि पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही करने के साथ विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र भी शिविर में जारी किए जाऐंगे। शिविर स्थल पर चिकित्सा विभाग द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया जाएगा।

उन्होंने समस्त जनमानस से उक्त शिविर में उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाने का आग्रह किया है।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।